

1317
29/1/19

(2)

स्पीड-पोस्ट / महत्वपूर्ण

संख्या-सा० 1535 / सात-न्याय-1-18-69 / 2018

प्रेषक,

राकेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- ✓ 1—महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2—महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3—महाप्रशासक एवं शासकीय न्यासी, उ०प्र०, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4—विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा० उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली।
5—विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।
6—निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7—निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8—सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जवाहर भवन, लखनऊ।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2019

विषयः—देश में डिजिटल लॉकर खुलवाने एवं उपयोगिता/सुविधा से आम जनमानस को सूचित/लाभान्वित कराने के लिये अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1299 / 78-1-2018-65आई०टी० / 2017, दिनांक 03-10-2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

(०)

PGT R9
Date 30 JAN 2018

भवदीय,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

OSD(J)(Comp)/
✓CPC

संख्या.रु.1015357 तारीख-1-20-2018
शोष प्राधिकारी/महत्वपूर्ण
संख्या:-1299/78-1-2018-65आईटी/2017

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

69/2018
51/1

आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1

अन्तर्गत
तारीख: दिनांक: 03 सितम्बर 2018

विषय:- देश में डिजिटल लॉकर खुलाने एवं उपयोगिता/सुविधा से आम जनमानस को सूचित/लाभान्वित कराने के लिये अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम का उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.07.2015 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को अपने से सम्बन्धित अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

2- डिजिटल लॉकर सिस्टम का उपयोग कर नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे मार्क शीट्स, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र इत्यादि को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये दस्तावेजों के नए होने/खो जाने की स्थिति में कभी लाता है। इस सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है।

3- डिजिटल लॉकर सिस्टम क्लाउड तकनीक पर आधारित डिजिटल माध्यम से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने तथा प्रमाणीकरण/सत्यापन की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके लाभ निम्नवत् हैः-

- (i) इस योजना के अन्तर्गत अभिलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित रखने की व्यवस्था है।
- (ii) यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने, खो जाने, नए हो जाने की स्थिति से आजादी प्रदान करता है।
- (iii) डिजिटल लॉकर सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। साथ ही अभिलेख पूर्णतया सुरक्षित एवं गोपनीय रखे जाते हैं।
- (iv) आवश्यकता पड़ने पर जारी करने वाले विभाग से रियल टाइम बेसिस पर प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने की व्यवस्था है जिसमें सम्बन्धित विभाग/अधिकारी को सत्यापन कार्य रिपोर्ट्स समय व धन की बचत के साथ-साथ कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कभी लाते हुए सरकारी विभागों के प्रशासनिक प्रक्रिया में सुविधा होती है।

09-10-2018
(इनेश कुमार सिंह II) डाक्यूमेन्ट/प्रपत्रों के भौतिक प्रति की बाध्यता एवं कठिनाई, जारी करने वाले विभागों, प्रमाणित करने वाले विभागों के साथ-साथ आम जनमानस के लिये समाप्त होती है।

प्रमुख सचिव, अधिकारी एवं विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध 6.50 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्रों, राज्य विभाग जोकि प्रमाण पत्रों को जारी कर रहे हैं एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित/सत्यापित कर रहे हैं, उनको परिषद व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा लगभग 4 लाख सर्टिफिकेट, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 50,000 से अधिक सर्टिफिकेट को डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इसी क्रम में प्रदेश के ऐसे सभी विभाग जोकि प्रमाण पत्रों को जारी कर रहे हैं एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित/सत्यापित कर रहे हैं, उनको डिजिटल लॉकर सिस्टम के साथ (Push & Pull APIs पद्धति के माध्यम से) इन्टीग्रेटेड किया जाना है।

प्र० प८३
10.10.11.0